

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 19/2024

उनवान

1. उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपूत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज) — प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपूत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
2. नारायण सिंह पुत्र श्री मोती सिंह राजपूत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
3. कालू पुत्र श्री मांगी लाल बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
4. रामलाल पुत्र श्री दोला कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
5. भैरू लाल पुत्र श्री मूलचन्द्र कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
6. उदय लाल पुत्र श्री छीतर कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
7. रामलाल पुत्र श्री गिरधारी कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
8. भगवान पुत्र श्री छीतर कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
9. नन्दा पुत्र श्री मांगी लाल कुमावत नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
10. नारू पुत्र श्री उदा बैरवा नि० खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 07.02.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 39 की आ.न. 552 रकबा 0.9484 है०, आ.न. 565 रकबा 1.0243 है०, कुल किता 02 कुल रकबा 1.9727 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू.अ.नि. खैराबाद तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 39 की आ.न. 552 रकबा 0.9484 है०, आ.न. 565 रकबा 1.0243 है०, कुल किता 02 कुल रकबा 1.9727 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

